


उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-391 / ग्यारह-९(३) / २०१०-उ०प्र०अधि०-५-२००८-आदेश-(155)-२०१६
लखनऊः दिनांकः ०४ अप्रैल, २०१६

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 05 अप्रैल, 2016 से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1439 / ग्यारह- ९(३) / २०१०-उ०प्र०अधि०-५-२००८-आदेश-(64)-२०१०, दिनांक 03 नवम्बर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

स्ट्री. कृष्ण (क्रिप्ति)



०६-०६-२०१६

32

पूर्वोक्त अधिसूचना में, मद (3) निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।